

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

क्रमांक :- दुरुस्ती/21/ 550

दिनांक 25/7/22

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी शेरडा भू अभिलेख निरीक्षक गिरानी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार भादरा/नायब तहसीलदार भादरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम शेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 121/115 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

स.	ग्राम/चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	शेरडा	121/115	1. उविता कुमारी 2. दिनेश कुमार 3. बबिता कुमारी 4. विरेन्द्र कुमार 5. मुनीता कुमारी 6. मंगेश पत्नी मन्वीर	1. उविता कुमारी 2. दिनेश कुमार 3. बबिता कुमारी 4. विरेन्द्र कुमार 5. मुनीता कुमारी 6. मंगेश पत्नी मन्वीर

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

दिनांक: 26/7/2022

क्रमांक:- सम/21/ 551-552

प्रतिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एवं बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया किया जाना सुनिश्चित करें।

2. प्रार्थी/प्रार्थिया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़